न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश – राम कुमार तिवारी)

सत्र प्रकरण कमांक : 109/2018
संस्थित दिनांक : 15.05.2018

छत्तीसगढ़ राज्य,
व्दारा आरक्षी केन्द्र – गोबरा नवापारा
जिला– रायपुर (छ0ग0) ---- अभियोजन ।

// विरूध्द //

धर्मेन्द्र ध्रुव पिता दौलत ध्रुव,उम्र 28 वर्ष,
निवासी कुटीपारा, पारागांव, थाना गोबरा
नवापारा, जिला–रायपुर (छ0ग0) ---- अभियुक्त ।

न्यायालय–श्री कृष्णमुरारी शर्मा,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–1926/2018, छ0ग0राज्य विरुध्द धर्मेन्द्र ध्रुव अंतर्गत धारा–326ए भारतीय दण्ड संहिता में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 08.05.2018 से उद्‌भूत सत्र प्रकरण।

राज्य शासन द्वारा श्री आनंद मोहन ठाकुर, लोक अभियोजक।
अभियुक्त द्वारा श्री चेमन ठाकुर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 24–11–2018 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त के विरुध्द **धारा–326क भारतीय दण्ड विधान** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.03.2018 को रात्रि करीब 7.30 बजे,

कुटीपारा, पारागांव, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर में श्रीमती दुर्गा ध्रुव को जलती हुई लकड़ी को उसके मुंह में डाल कर अग्नि व्दारा दाह कारित किया और घोर उपहति कारित किया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव कुटीपारा, पारागांव, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर में रहती है। दिनांक 14.03.2018 को शाम करीब 7.30 बजे उसका पति धर्मेन्द्र ध्रुव घर में शराब पी रहा था जो अक्सर शराब पीकर उसके साथ गाली–गुफ्तार करता है जिसके डर से दुर्गा ध्रुव अपने पड़ोस में अपनी मां कुमारी देवांगन के घर चली गयी। वहां उसकी मां के घर के पिछवाड़े में चूल्हा जल रहा था जिसमें खाना बन रहा था। प्रार्थिया वहीं पर बैठी हुई थी तो उसी समय उसका पति आरोपी धर्मेन्द्र ध्रुव वहां पर आ गया और उससे गालीगलौच करते हुये बोला कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को उठा कर उसके मुंह में डालने लगा जिससे उसका गला, ठुड्डी, सीने के पास जल गया और उसकी पहनी हुई साड़ी में भी जगह–जगह पर छेद हो गया। उक्त घटना को दुर्गा ध्रुव की मां कुमारी देवांगन और मौसी बिसाहीन देवांगन देखे हैं और उसे बचाये हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना गोबरा नवापारा में की जिस पर अपराध क्रमांक–67 / 18, धारा–326ए भा0दं0वि0 पंजीबध्द किया गया।

3. अन्वेषण के दौरान प्रार्थिया / आहता दुर्गा ध्रुव का सी0एच0सी0 गोबरा नवापारा में डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया। प्रार्थिया के पेश करने पर जामुनी रंग की छींटदार साड़ी, जो जगह–जगह से जली हुई थी, उसे जप्त किया गया। आरोपी के पेश करने पर एक जलाऊ लकड़ी जप्त किया गया। आहता को आयी चोटों के संबंध में सी0एच0सी0 गोबरा नवापारा से क्वैरी कराया गया जिसमें बताया गया कि आहता दुर्गा ध्रुव

को जलने से आयी चोंटों के निशान लंबे समय तक रह सकता है। गवाहों के कथन लिये गये और अन्वेषण पश्चात् अभियोग–पत्र धारा–326ए भा0दं0वि0 के अपराध में श्री कृष्णमुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण धारा–209 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत् उपार्पण पश्चात् सत्र न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

4. **अब प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि:–**

'' क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.03.2018 को रात्रि करीब 7.30 बजे, कुटीपारा, पारागांव, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर में प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव को जलती हुई लकड़ी को उसके मुंह में डाल कर उसे अग्नि व्दारा दाह कारित किया और घोर उपहतिकारित किया है?''

// विवेचन और निष्कर्ष //

5. इस प्रकरण में अभियोजन व्दारा डॉ0 महेन्द्र चौधरी (अ0सा01), श्रीमती रूखमणी (अ0सा02), श्रीमती बिसाहीन देवांगन (अ0सा03), श्रीमती कुमारी देवांगन (अ0सा04), प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव(अ0सा05), प्रमोद देवांगन (अ0सा06), देव सिंह ध्रुव (अ0सा07) एवं प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रसाद दुबे (अ0सा08) का परीक्षण कराया गया है। आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. **प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव (अ0सा05)** का मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कथन है कि आरोपी धर्मेन्द्र ध्रुव उसका पति है। वह घटना के समय अपने मायके कुटीपारा, पारागांव में थी। उस दिन वह और उसका पति आरोपी धर्मेन्द्र उसके मायके गये हुये थे। उसके घर में उसकी मां थी, उसका भाई और पिता काम में गये हुये थे। जब वह अपने

मायके पहुंची तो उसकी मां कुमारी देवांगन घर के बाहर मछली को साफ कर रही थी। उसकी मां के घर के चूल्हा का आग बूझ गया था जिसे वह फूंक कर जला रही थी तो वह चूल्हे की आग में गिर गयी थी जिससे उसका गला जल गया था। उसके चिल्लाने पर उसकी मां कुमारी और उसकी मौसी बिसाहीन आ गये थे। उसका पति उस समय घर में नहीं था, वह शराब पीया हुआ था और वह उसे घर के बाहर भेज दी थी। उसका पति कुछ नहीं किया है, वह स्वयं ही आग में गिर गयी थी। यह भी कहना है कि वह रिपोर्ट करने थाना नहीं गयी थी। उसे प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी04 के अ से अ भाग का हस्ताक्षर दिखा कर पूछे जाने पर वह अपना हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। उसका कंडिका–2 में कथन है कि पुलिस वाले उसे मुलाहिजा के लिये शासकीय अस्पताल, नवापारा ले गये थे।

7. उक्त साक्षी को अभियोजन व्दारा पक्षविरोधी घोषित कर परीक्षण किया गया है परंतु उसने इस सुझाव से इंकार की है कि उसका पति उसे बोला कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो और विवाद करने लगा। यह भी अस्वीकार की है कि उसके बाद जलती हुई लुठी को उसके मुंह में डालने लगा। यह भी इंकार की है कि वह लुठी उसके मुंह में न जाये करके वह बीच बचाव करने लगी जिससे उसका गला आग से जल गया और ठुड्डी भी जल गया। यह स्वीकार की है कि आग से उसकी पहनी हुई जामुनी रंग की साड़ी में जगह–जगह छेद हो गया था, परंतु इस सुझाव से इंकार की है कि उसके गले में आग से जो चोंट लगी है वह उसके उसके पति के व्दारा पहुंचाया गया है।

8. अन्य साक्षियों में **प्रार्थिया/आहता की मां श्रीमती कुमारी देवांगन (अ0सा04)** का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह आरोपी धर्मेन्द्र ध्रुव को जानती है, वह उसका दामाद है। लगभग 4–5 माह पहले शाम करीब 6.45 – 7.00 बजे की बात है, इसके घर इसकी लड़की दुर्गा और आरोपी धर्मेन्द्र दोनों आये थे। इन दोनों के बीच में

क्या बात हुई थी यह नहीं जानती है। उस समय वह घर में लकड़ी जला कर चूल्हे से खाना बना रही थी और घर से बाहर निकल कर मछली को साफ कर रही थी तभी उसकी लड़की दुर्गा आवाज दी कि 'मां बचा वो मोला भुंज डारीस' तब वह आवाज सुन कर जब घर के अंदर घुसी तो देखी कि आरोपी धर्मेन्द्र हाथ में लूठी (जलती हुई लकड़ी) रखा था और उसकी लड़की दुर्गा के गले का नीचला हिस्सा आग में जल गया था। वह आरोपी को गाली दी थी और बोली थी कि तुम लड़की को जला डाले। उक्त साक्षी को भी अभियोजन व्दारा पक्षविरोधी घोषित कर परीक्षण किया गया है तो कंडिका–2 में उसका कथन है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने उसकी बेटी दुर्गा को बोला कि तुम बन–संवर कर नहीं रहती हो और झगड़ने लगा। यह कहना गलत है कि आरोपी ने गुस्से में आकर दुर्गा को कहा कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो। इसने यह स्वीकार की है कि आरोपी लूठी को लेकर दुर्गा के मुंह में डाल रहा था तो इसकी लड़की दोनों हाथों से अपना मुंह बंद की तो आरोपी के व्दारा दुर्गा के गले में लूठी से चोंट लगी थी। यह भी सही है कि दुर्गा का सीना और पहनी हुई साड़ी भी आग से जल गया था। यदि प्रतिपरीक्षण को देखें तो उसने इस सुझाव से इंकार की है कि वह आरोपी और दुर्गा में वाद–विवाद हुआ उसको नहीं देखी है। यह भी इंकार की है कि खाना बनाते समय झूमा–झपटी होने से दुर्गा स्वयं आग से जल गयी थी। अतः उक्त साक्षी के कंडिका–2 के कथन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी लूठी लेकर दुर्गा के मुंह में डाल रहा था तो दुर्गा अपने हाथों से अपना मुंह बंद की तो आरोपी के व्दारा दुर्गा के गले में लूठी की चोंट पहुंची और दुर्गा का सीना और पहनी हुई साड़ी भी आग से जल गयी थी।

9. आहता का भाई **प्रमोद देवांगन (अ0सा06)** भी पक्षविरोधी साक्षी है। उसने दुर्गा के साथ हुई घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है।

10. अन्य साक्षियों में **श्रीमती बिसाहीन देवांगन (अ0सा03)** का मुख्य परीक्षण

की कंडिका–1 में कथन है कि लगभग 6–7 महीने पहले की बात है। घटना दिनांक को शाम को वह अपनी बहन कुमारी देवांगन को उसके घर बुलाने गयी थी उस समय वह अपने घर में चूल्हा में आग लगा कर खाना बना रही थी। उस समय वहां पर उसकी बहन कुमारी की बेटी दुर्गा और दुर्गा का पति धर्मेन्द्र भी थे, तभी दुर्गा आवाज दी और कही कि 'मोला भुंज डारीस मां आ के बचा' तो उसकी बहन भागते हुये जहां पर वह खाना बना रही थी वहां पर गयी और अपने दामाद धर्मेन्द्र को गाली दी और कही कि तुम उसकी बेटी को भुंज डाले हो। चिल्लाने पर यह भी दौड़ते हुये वहां पर जाकर देखी थी और दुर्गा के गले के पास के अंगार और आग को हटायी थी, जो लूठी (जलती हुई लकड़ी) का था। वह देखी तो दुर्गा के गले के पास का हिस्सा जला हुआ था जिसे साफ की थी। कंडिका–2 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके सामने दुर्गा को उसका पति नहीं जलाया था, वह बाद में पहुंची थी। उसके सामने दुर्गा और उसके पति का कोई विवाद भी नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन व्दारा पक्षविरोधी घोषित कर परीक्षण किया गया है परंतु परीक्षण की कंडिका–3 उसने अभियोजन का समर्थन नहीं की है।

11. प्रधान आरक्षक **ईश्वर प्रसाद दुबे (अ0सा08)** का मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कथन है कि थाना गोबरा नवापारा, रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 14.03.2018 को शाम 20.35 बजे प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव ने थाना आकर रिपोर्ट की थी जिस पर उसने अपराध कमांक–67/18 अंतर्गत धारा–326ए भा0दं0वि0 आरोपी धर्मेन्द्र ध्रुव के विरूध्द पंजीबध्द किया था। उसके व्दारा पंजीबध्द प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपराध की कायमी पश्चात् प्रार्थी श्रीमती दुर्गा ध्रुव को मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोबरा नवापारा आरक्षक पुरूषोत्तम ध्रुव के माध्यम से भेजा था। मुलाहिजा आवेदन प्रदर्श पी01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर

हैं।

12. **डॉ0 महेन्द्र चौधरी (अ0सा01)** का मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कथन है कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोबरा नवापारा, जिला रायपुर में मार्च 2018 से मेडिकल आफिसर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 14.03.2018 को थाना गोबरा नवापारा के आरक्षक पी0एस0ध्रुव, कमांक–2201 व्दारा श्रीमती दुर्गा ध्रुव पत्नी धर्मेन्द्र ध्रुव, उम्र लगभग 27 साल, निवासी ग्राम कुटीपारा, पारागांव, थाना गोबरा नवापारा को उपचार हेतु इसके समक्ष लाया गया था। उसे कथित रूप से लकड़ी की आग से हमले व्दारा आहत किया गया था। वह उस समय होश में थी और ओरियेंटेड थी। उसके शरीर के गले के नीचे अपर स्टर्नम में 10 X 10 से0मी0 आकार तथा बायें गाल में 2 X 2 से0मी0 आकार की जलने की चोंट थी जो कि ग्रेड–1 प्रकृति का था। उस समय इसके व्दारा मरीज की परीक्षा किये जाने पर उसके शरीर में आयी हुई चोटें साधारण प्रकृति की थी। इस संबंध में इसके व्दारा दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी01 है।

13. उक्त साक्षी का कंडिका–2 में कथन है कि थाना प्रभारी व्दारा हेड कांस्टेबल कमांक–1702 व्दारा इसे एक पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें आहत दुर्गा ध्रुव पत्नी धर्मेन्द्र ध्रुव के शरीर में आयी हुई चोंट के संबंध में दो बिन्दुओं व्दारा क्वैरी मांगी गयी थी जिसके संबंध में इसने यह अभिमत दिया था कि :–

1. पीड़िता दुर्गा ध्रुव का जो जलने से आया निशान वर्तमान में है, और लंबे समय तक रह सकता है।
2. पीड़िता दुर्गा ध्रुव का चोंट से हड्डी, गला एवं सीना में स्थायी रूप से शारीरिक विकृति उत्पन्न नहीं होगा।

इस संबंध में इसके व्दारा दिया गया अभिमत प्रदर्श पी02 है जिसके ए से ए

भाग पर इसके हस्ताक्षर हैं। अब यदि प्रतिपरीक्षण को देखें तो उसने स्वीकार किया है कि यह सही है कि जलने से आया निशान साधारण प्रकृति का है। यह भी सही है कि जलने से आयी चोंट का निशान कुछ साल बाद ठीक हो जाने की संभावना है।

14. **प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रसाद दुबे (अ0सा08)** का मुख्य परीक्षण की कंडिका–2 में कथन है कि आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त लूठी को मुताबिक जप्ती पत्रक प्रदर्श पी08 के अनुसार गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। कंडिका–3 में कथन है कि प्रार्थिया दुर्गा ध्रुव व्दारा घटना के समय पहनी हुई साड़ी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी05 के अनुसार गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया था। जप्ती पत्र प्रदर्श पी05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. यदि जप्ती पत्र प्रदर्श पी08 के साक्षियों के कथन को देखें तो **श्रीमती रूखमणी (अ0सा02)** ने बतायी है कि वह घटना स्थल पर पहुंची तो आरोपी धर्मेन्द्र उपस्थित था। धर्मेन्द्र व्दारा दिये जाने पर पुलिस वाले जली हुई लकड़ी, जो बुझ गयी थी, उसे ले गये थे। उसी प्रकार अन्य साक्षी **देव सिंह ध्रुव (अ0सा07)** का कथन है कि उसके समक्ष कुमारी देवांगन के घर से पुलिस ने आधा जला हुआ लूठी जप्त किया था जिसके संबंध में तैयार जप्ती पत्र प्रदर्श पी08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी प्रकार जप्ती पत्र प्रदर्श पी05 के अनुसार कुमारी देवांगन के घर से एक जली हुई साड़ी जप्त किये जाने का भी कथन देव सिंह ध्रुव ने किया है तथा जप्ती पत्र प्रदर्श पी05 के बी से बी भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त जप्ती कार्यवाही का समर्थन श्रीमती रूखमणी (अ0सा02) ने भी अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–3 में किया है। अतः जप्ती पत्र प्रदर्श पी05 एवं प्रदर्श पी08 की जप्ती कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से भी प्रमाणित है।

16. अब यह देखना है कि क्या उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूध्द आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है?

17. यदि उपरोक्त साक्ष्य का समग्र रूप से परिशीलन करें तो **प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव (अ0सा05)** प्रकरण की आहता और रिपोर्टकर्ता है। वह पक्षद्रोही हो गयी। वह अभियुक्त के व्दारा उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित करने का समर्थन नहीं करती है। इसके विपरीत उसका कहना है कि वह स्वयं ही आग में गिर गयी थी। अतः प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा ध्रुव पक्षद्रोही साक्षी है जिसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्षियों में भी प्रार्थिया के भाई **प्रमोद देवांगन (अ0सा06)** ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उसके अतिरिक्त **श्रीमती बिसाहीन देवांगन (अ0सा03)** भी पक्षद्रोही साक्षी है जिसने उसके समक्ष दुर्गा और उसके पति अभियुक्त व्दारा किसी भी प्रकार से विवाद होने से इंकार कर दिया है।

18. प्रार्थिया/पीड़िता की मां **श्रीमती कुमारी देवांगन (अ0सा04)** भी यद्यपि पक्षद्रोही साक्षी है, परंतु उसने यह सुझाव स्वीकार की है कि आरोपी लूठी को लेकर उसकी लड़की दुर्गा के मुंह में डाल रहा था तो उसकी लड़की अपने हाथों से अपने मुंह को बंद की तो आरोपी, दुर्गा के गले में लूठी से चोंट पहुंचाया था और दुर्गा का सीना और पहनी हुई साड़ी जल गया था, परंतु मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में उसका कहना है कि वह घटना के समय दुर्गा के चिल्लाने पर आवाज सुन कर जब घर के अंदर घुसी तो आरोपी धर्मेन्द्र हाथ में लूठी रखा हुआ था और दुर्गा के गले का नीचला हिस्सा आग से जल गया था। अतः श्रीमती कुमारी देवांगन (अ0सा04) ने अभियोजन का समर्थन किया है, परंतु प्रार्थिया/आहता श्रीमती दुर्गा ध्रुव के पक्षद्रोही हो जाने के कारण अभियोजन का प्रकरण संदिग्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की प्रार्थिया एवं आहता स्वयं पक्षद्रोही हो गयी है और उसने स्वयं

आग में गिर जाने से जल जाना बतायी है, ऐसी स्थिति में अन्य साक्षियों के कथन के आधार पर यह निष्कर्ष युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं दिया जा सकता है कि अभियुक्त के व्दारा जलती हुई लूठी से प्रार्थिया के साथ मारपीट किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया/आहता को चोटें आयी हैं।

19. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त के विरूध्द आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। फलतः आरोपी धर्मेन्द्र ध्रुव को धारा–326क भारतीय दण्ड विधान के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

20. इस प्रकरण में जप्तशुदा कपड़े और लकड़ी मूल्यहीन संपत्ति है जिसे अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। यदि अपील होती है तो संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

सही/–

रायपुर,
दिनांक : 24.11.2018

(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर
जिला–रायपुर(छ0ग0)